



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 03.07.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा



.315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तनुज पुत्र रामफल निवासी पट्टी गुट्टी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 193 अंकुर भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 03.07.2024

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 127/24 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 127/24 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को उड़ीसा राज्य से सकुशल बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मौ0 अनीश पुत्र मौ0 घोष निवासी हाऊसिंग बोर्ड बीट कालोनी थाना घुसानी गांव बहरमपुर जिला गंजाम राज्य उड़ीसा ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2- का0 912 सूरज कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3- म0का0 655 सीमा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 03.07.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/2024 धारा
115(2)/126(2)/140(1)/ 191(2)/351(2)(3)/352 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.07.24 को थाना छपरौली पर वादी श्री रोहित पुत्र राधेश्याम पट्टी मेहर कर-बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त बनाम 1.वसीम पुत्र महबूब, 2.सलमान, 3.सहजाद, 4.नसीम निवासीगण ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का



रास्ता रोककर वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी तथा वादी को गाडी में डालकर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 163/2024 धारा 115(2)/126(2)/140(1)/191(2)/351(2)(3)/352 BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/2024 धारा 115(2)/126(2)/140(1)/191(2)/351(2)(3)/352 BNS में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र महबूब निवासी गांव ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ.नि. श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- का. 633 जहांगीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- का. 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 03.07.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग



पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शेखर पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला ।
- 2- यू0टी0 उ0नि0 श्री ऋषिभान सिंह थाना रमाला ।

